राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

महात्मा गांधी नरेगा कॉल सेन्टर हैल्पलाईन नम्बर 1800–180–6127

क्रमांक एफ 60 (10) ग्रावि/नरेगा/2015–16/लोकपाल/ **e.o no** 135314/जयपुर, दिनांक 15 NOV 2017

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम, राजस्थान
जिला बारां, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, कोटा,
नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, करौली,
बाड़मेर, चूरू, दौसा एवं जैसलमेर।

विषय :– लोकपाल को कार्यालय के लिये आवश्यक सुविधायें एवं तकनीकी/ प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– पत्रांक एफ 60 (10) ग्रावि/नरेगा/लोकपाल 14–15/56032/जयपुर दिनांक 17.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र द्वारा लोकपाल की नियुक्ति, महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 27 में किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत की गई है। लोकपाल नियुक्ति का मुख्य उददेश्य योजना के क्रियान्वयन में बरती जाने वाली अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों का निराकरण करने के लिए स्वतंत्र एजेन्सी स्थापित करना है।

भारत सरकार के पत्र क्रमांक L–11011/21/2012/RE-VII दिनांक 16.01.2014 द्वारा लोकपाल के चयन, कर्तव्य, उतरदायित्व, सुविधाऐ, संबंधित विषय, प्रक्रिया, शिकायत के विषय, शिकायत की सुनवाई कर अवार्ड पारित करने, पारित अवार्ड के निर्देशों की क्रियान्विति करने, अवार्ड की अपील करने, मानदेय का भुगतान करने आदि से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। इसके अनुसार अवार्ड के निर्देशों की क्रियान्विति निर्धारित अवधि में नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है।

अतः आपके जिले में पदस्थापित लोकपाल को कार्यालय स्थापित करने के हेतु, भारत सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 16.01.2014 में उल्लेखित कर्तव्य पालन हेतु आधारभूत सुविधायें यथा कक्ष, फर्नीचर, स्टेशनरी, कम्प्यूटर, टेलिफोन, आवश्यक स्टॉफ एवं प्रशासनिक/तकनीकी सहयोग आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

भवदीय

14/11/17

शासन सचिव एवं आयुक्त ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,.......................।
2. लोकपाल श्री..

14/11/17

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस

E:\Ombudsman and Appellate Authority 04-10-2017\Ombudsman D.PC Later.doc